

**मांग संख्या 41**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1 से 2**

अनुसूचित जनजाति आश्रम के आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु ₹ 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3 से 4**

अनुसूचित जनजाति छात्रावास के आकस्मिकता स्थापना के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु ₹ 400.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु ₹ 1384.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 13,84,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

1. अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के स्थापना अनुदान हेतु ₹ 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

2. अशासकीय संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग संस्था में 9वीं के विद्यार्थियों के कोचिंग हेतु ₹ 9.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,09,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2203**

**मद क्रमांक 7 एवं 8**

शासकीय पॉलीटेक्निक गरियाबंद में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु ₹ 30.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2210**

**मद क्रमांक 9**

चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, जगदलपुर के लिए 06 जनरल ड्यूटी मेडिकल आफिसर (वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 6600) पर हेतु राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2216**

**मद क्रमांक 10 से 11**

इंदिरा आवास योजनांगत राज्यांश मद में राशि ₹ 137.10 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,37,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2217**

**मद क्रमांक 12 से 13**

नगर निगम क्षेत्र में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के राज्यांश मद में ₹ 1.87 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,87,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 14 से 15**

नगर पालिका क्षेत्र में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के राज्यांश मद में ₹ 3.72 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,72,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 16 से 17**

नगर पंचायत क्षेत्र में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के राज्यांश मद में ` 3.72 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 3,72,000 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2225**

**मद क्रमांक 18 से 19**

माडा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु ` 183.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,83,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 20 से 21**

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु ` 8.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 8,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 22**

विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण हेतु ` 177.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,77,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2230**

**मद क्रमांक 23 से 26**

जनजागरण अभियान के तहत बस्तर संभाग के समस्त जिलों के युवक/युवतियों हेतु विशेष रोजगार/स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि ` 75.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 27**

27 मिनी आई.टी.आई. हेतु कम्प्यूटर क्रय के लिये राशि ` 39.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 28**

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनांतर्गत राशि ` 166.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 1,66,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2403**

**मद क्रमांक 29**

पशुधन विकास विभाग के अंतर्गत स्वीकृत 09 वाहनों के क्रय में 02 वाहन हेतु राशि की कमी की पूर्ति हेतु राशि ` 9.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2406**

**मद क्रमांक 30 से 31**

प्रोजेक्ट टाइगर योजना में राज्यांश राशि ` 90.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2501**

**मद क्रमांक 32 से 33**

नव गठित जिलों में जिला पंचायत कार्यालय की स्थापना हेतु राशि ` 13.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 13,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2515**

**मद क्रमांक 34 से 36**

नव गठित जिलों सुकमा एवं बलरामपुर में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के नये संभागों की स्थापना हेतु वेतन भत्ते में ₹ 2.50 लाख एवं कार्यालय व्यय मद में ₹ 10.00 लाख कुल ₹ 12.50 लाख का व्यय संभावित है। पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पद नाम	पद संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
1	कार्यपालन अभियंता	02	15600-39100	6600
2	संभागीय लेखापाल	02	9300-34800	4400
3	मानचित्रकार	02	9300-34800	4200
4	सहायक मानचित्रकार	02	5200-20200	2400
5	सहायक वर्ग-2	04	5200-20200	2400
6	अनुरेखक	02	5200-20200	1900
7	अनुलिपिक	02	5200-20200	1900
8	सहायक वर्ग-3	04	5200-20200	1900
9	डाटा एंट्री आपरेटर	04	5200-20200	1900
10	भृत्य	04	4750-7440	1300
11	वाहन चालक	02	आकस्मिकता स्थापना	
12	चौकीदार	02	आकस्मिकता स्थापना	
	<b>योग:-</b>	<b>32</b>		

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 12,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2702**

**मद क्रमांक 37**

शाकम्बरी योजना अंतर्गत राशि ₹ 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2801**

**मद क्रमांक 38**

कृषि पम्पों के ऊर्जाकरण योजनांतर्गत राशि ₹ 300.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4210**

**मद क्रमांक 39 से 40**

परिचारिका प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु राज्यांश के लिए ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 41 से 42**

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र के भवन निर्माण हेतु राज्यांश के लिए ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4225**

**मद क्रमांक 43**

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार हेतु अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत ₹ 499.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 4,99,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4406**

**मद क्रमांक 44**

वन मण्डल कार्यालय, उत्तर कोण्डागांव के केशकाल में स्थानांतरण के फलस्वरूप वन मण्डलाधिकारी कार्यालय, आवास, कर्मचारी आवास, पेयजल व्यवस्था एवं पहुंच मार्ग निर्माण (अनुमानित लागत ` 242.33 लाख) पर इस वर्ष ` 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4701**

**मद क्रमांक 45**

डिक्री धन भुगतान हेतु स्वीकृत आकस्मिकता निधि अग्रिम राशि ` 2,19,64,448 की प्रतिपूर्ति हेतु ` 219.65 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 2,19,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 46**

राजनांदगांव जिले की मोंगरा परियोजना में भूअर्जन हेतु राशि ` 200.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4702**

**मद क्रमांक 47**

सरगुजा जिले की बिन गंगा जलाशय योजना (अनुमानित लागत ` 110.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ` 5.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 48**

1. रायगढ़ जिले में बटुरा कछार स्टापडेम निर्माण (अनुमानित लागत ` 216.00 लाख) पर इस वर्ष राशि ` 5.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

2. लेमरू एनीकट योजना निर्माण हेतु राशि ` 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 6408**

**मद क्रमांक 49**

छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ को बारदाना क्रय हेतु ऋण के लिए राशि ` 2422.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ` 24,22,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।